



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1614]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2007/पौष 10, 1929

No. 1614]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2007/PAUSA 10, 1929

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2007

New Delhi, the 31st December, 2007

का.आ. 2224(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 31 दिसम्बर, 2007 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

S.O. 2224 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), the Central Government hereby appoints the 31st day of December, 2007 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]

[F.No. 17014/02/2007-PC&V (Vol. VII)]

डॉ. बचितर सिंह, संयुक्त सचिव

Dr. BACHITTAR SINGH, Jt. Secy.